कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

(कक्ष प्रशासन–।।)

क्रमांक / क्षे.स्था.2 / 2196 भोपाल, दिनांक 23/5/16

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षे.)

मध्यप्रदेश

विषयः दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किये जाने के संबंध में।

———

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र संबंधित वनवृत्त एवं मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है। ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये है कि कुछ वनवृत्त द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की पारिवारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों का उदाहरण लेकर अन्य दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों द्वारा भी एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रेषित किये जा रहे है।

2. म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा वर्ष 2008 में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को चयन परीक्षा आयोजित कर वनरक्षक पद पर नियुक्ति हेतु 1500 पद स्वीकृत किये गये थे। आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर अभ्यार्थियों को वनरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। विभाग द्वारा तत्समय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को वनरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया। म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक / एफ–3–52 / 08 / 10–1 दिनांक 01.10.2010 द्वारा अन्य जिले की चयन सूची के उम्मीदवारों को दूसरे जिले में नियुक्ति दिया जाना नियमों के विरूद्ध मानते हुए ऐसी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया था।

3. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की वरीयता सूची जिलेवार संधारित की जाती है। जिला स्तरीय पदो के लिए विभाग द्वारा पदों का आवंटन भी जिलेवार किया गया है। शासन निर्देशानुसार दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का नियमितीकरण भी जिलेवार रिक्त पदो के विरूद्ध ही किया जाना प्रावधानित है। अतः दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थ किया जाना शासन निर्देशों के अनुरूप नही है तथा नियमितीकरण की दृष्टि से दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के भी हित में नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि स्थानांतरित श्रमिक के स्थानांतरण से उस जिले में पूर्व से कार्यरत दैनिक

वेतन भोगी श्रमिकों के हित प्रभावित न हों। अतः दैनिक वेतन भोगी श्रमिक का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में नहीं किया जावे।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी. 5–1–2013–3–एक दिनांक 30.5.2013 के अनुसार सभी दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के सेवा अभिलेख एवं प्रति वर्ष की वरीयता सूची संधारित किया जाना चाहिए।

23/5/16

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म.प्र. भोपाल

पृष्ठां.क्रमांक / क्षे.स्था.2 / 2197 भोपाल, दिनांक 23/5/16

प्रतिलिपिः

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी / उत्पादन / अनुसंधान विस्तार / कार्य आयोजना) मध्यप्रदेश,
2. समस्त वनमंडल अधिकारी, वन विभाग मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

(सतीश त्यागी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)
म.प्र. भोपाल
23.05.2016

E:\17.2.16\SN Shingh\DVB .doc